न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 267/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/460

दायर दिनांक :– 19.08.2025 निर्णय दिनांक :– 29.05.2026

1. खियाराम विश्नोई पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी सांवरीज तहसील फलोदी जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. मानाराम पुत्र नरसींगाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. चावली पत्नी मोबताराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
3. दाणूराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
4. नरसींगाराम पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निबासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
5. बचनाराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
6. बाबूराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
7. बीरबलराम पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
8. भरमती पत्नी हरीराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
9. मनोहरराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
10. साजनराम पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
11. हरदास पुत्र पनाराम जाति विश्नोई निवासी मोरिया तहसील आउ जिला फलोदी
12. चंद्रा बिश्नोई पत्नी ओमप्रकाश बिश्नोई जाति विश्नोई निवासी आर.टी.ओ. ऑफिस के पास विध्यानगर जोधपुर
13. छोगाराम बिश्नोई पुत्र रिडमलराम जाति विश्नोई निवासी आर.टी.ओ. ऑफिस के पास विध्यानगर जोधपुर
14. रामलाल पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई जम्भेश्वरनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी
15. सुरेन्द्रकुमार विश्नोई पुत्र खियाराम जाति विश्नोई निवासी सावरीज तहसील फलोदी जिला फलोदी
16. तहसीलदार बाप

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

Satya...

सहायक कलेक्टर

बाप (फलोदी)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में खसरा संख्या 1351/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर काश्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की स्थित है। वर्तमान जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 उक्त काश्त भूमि का उपयोग उपभोग निरन्तर करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि का पैमाइश हेतु आनलाईन आवेदन पत्र तहसीलदार बाप के समक्ष पेश किया जिनके आदेश कमांक 2025/471/30 दिनांक 08.05.2025 की पालना में दिनांक 12.05.2025 को पटवारी हल्का कानासर द्वारा प्रार्थी की खसरा संख्या 1351/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर काश्त भूमि की विधिवत पैमाइश कर सीमा चिन्ह बताये जाकर मौके पर ही पैमाइश फर्द तैयार की गयी। पैमाइश फर्द दिनांक 12.05.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1351/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर काश्त भूमि की पैमाइश दिनांक 12.05.2025 को पटवारी हल्का द्वारा बताये गये सीमा चिन्ह अनुसार पत्थर की पटि्टया रोपनी शुरू की तो पडौसी खसरा संख्या 1364/1, 1351, 1364 के खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 द्वारा मौका पर अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न कर प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि की सीमाओं पर पत्थर की पटि्टयों का कार्य को बाधित कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी इत्यादि से घेरकर फसल की सुरक्षा करना असभंव है जिससे प्रार्थी की फसल को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दिये जाने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा है इसलिये प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 16 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में सीमाज्ञान फर्द की प्रमाणित प्रति प्राप्त करवाकर मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए बाद सुनवाई नेखमबन्दी आदेश जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1351/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 रिश्ते में पिता पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 15 थल सेना में सेवारत होने

Satya..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

से उपस्थित नहीं हो सकते है इसलिए उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 12.05.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1351/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 उक्त भूमि के सह खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 15 थल सेना में सेवारत होने से उपस्थित नहीं हो सकते है इसलिए उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 15 के रूप में पक्षकार संयोजित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 15 वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी पैमाईश फर्द दिनांक 12.05.2025 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा संख्या 1351/1 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी मौका फर्द दिनांक 12.05.2025 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/– प्रार्थी द्वारा अदा किये जायेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)